M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 / 2776575

" कटहल के बगीचों में लगे फल के विक्रय एवं उक्तावधि में वृक्ष संवर्धन"

हेतु ई–निविदा (द्वितीय) प्रपत्र 2024

विस्तृत जानकारी एवं भाग लेने हेतु **WWW.mptenders.gov.in** पर देखें
विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईट www.mpagro.0rg पर भी देखी जा सकती है ।
(आवश्यकतानुसार सभी शुद्धि पत्र www.mpagro.0rg पर ही प्रदर्शित होंगें)

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाषः मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

M P AGRO

क./मुख्या/बाबई/2024–25/ 383 दिनांक 14.5.2024

कटहल के बगीचों में लगे फल के विक्रय हेतु ई–निविदा (द्वितीय) सूचना

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई जिला होशंगाबाद में कटहल के बगीचों में लगे फल के नीलामी हेतु ई–निविदां दिनांक 21.05.2024 तक आमंत्रित की जाती है। www.mptenders.gov.in पर विस्तृत जानकारी के साथ ऑनलाईन भाग लिया जा सकता है । निगम की वेबसाईट www.mpagro.0rg पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है ।

निविदान्तर्गत समस्त शुद्धि पत्र की सूचना मात्र www.mpagro.0rg वेबसाईट पर ही दी जायेगी ।

प्रबंधक (बाबई)
14/5/24

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

M P AGRO

ई–निविदा प्रपत्र में 12 पृष्ठ है । अनुक्रमणिका निम्नानुसार है :–

क्र.	मुख्य शीर्षक	संदर्भ	पृष्ठ क्र.
1	कटहल के बगीचों में लगे फल के विक्रय एवं उक्तावधि में वृक्ष संवर्धन हेतु ई–निविदा सूचना	---	02
2	ई–निविदा प्रपत्र में 12 पृष्ठ है ।		03
3	ऑनलाईन ई–निविदा क्रय जमा एवं खोले जाने की दिनांक एवं समय	---	04
4	ई–निविदा की सामान्य शर्ते	प्रपत्र क्रमांक –1	05 से 09 तक
5	ई–निविदा अन्तर्गत दस्तावेजों की आर्हता	बिन्दु क्र.–5.5	04, 05
6	अनुबंध	प्रपत्र क्रमांक –2	10
7	कटहल के बगीचों में लगे फल के विक्रय एवं उक्तावधि में वृक्ष संवर्धन हेतु बगीचों की संकल्प धनराशि के सम्पूर्ण जानकारी का विवरण	प्रपत्र क्रमांक –3	11
8	वित्तीय प्रस्ताव	प्रपत्र क्र.–4	12

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाषः मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

ऑनलाईन निविदा प्रपत्र मूल्य, विक्रय, जमा, तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के खोले जाने संबंधित दिनांक एवं समय का विवरण :–

क.	विवरण ब्यौरा	राशि / दिनांक / समय
1	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 2500.00 (आनलाईन भुगतान, समस्त कर सहित)
2	ई–निविदा प्रपत्र क्रय एवं जमा करने की आरंभिक निर्धारित दिनांक एवं समय	दिनांक 14.05.2024 अपरान्ह 4.30 बजे से
3	ई–निविदा प्रपत्र क्रय करने की निर्धारित अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 20.05.2024 अपरान्ह 2.00 बजे तक
4	ई–निविदा प्रपत्र (मय तकनीकी एवं वित्तीय बिड) जमा करने की निर्धारित अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 20.05.2024 अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	ई–निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड) खोले जाने की निर्धारित दिनांक एवं समय	दिनांक 20.05.2024 अपरान्ह 5.00 बजे
6	तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्ताओं के वित्तीय बिड खोले जाने की निर्धारित दिनांक एवं समय	सूचना वेबसाईट www.mptenders.gov.in एवं www.mpagro.0rg पर प्रदर्शित की जायेगी ।

प्रबंधक (बाबई)

ई–निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज :–

क.	विवरण	प्रति ऑनलाईन अपलोड
1	निजी व्यक्ति द्वारा ई–निविदा में भाग लेने हेतु	आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति
2	फर्म / कम्पनी की ओर से ई–निविदा में भाग लेने हेत	फर्म / कम्पनी का वैद्य गुमाश्ता प्रमाण–पत्र कम्पनी निर्गमन की स्व–प्रमाणित प्रति ई–निविदा प्रस्तुत करने के अधिकार संबंधी फर्म / कम्पनी संचालक मंडल के निर्णय की प्रति

प्रबंधक (बाबई)

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

प्रपत्र कमांक –1

कटहल के बगीचों में लगे फल के विकय हेतु ई–निविदा की सामान्य शर्तें

1. ई–निविदा सूचना एवं ई–निविदा में प्रदर्शित बगीचे निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई, जिला होशंगाबाद में स्थित है।

2. प्रत्येक निविदाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी दर प्रस्तुत करने के पूर्व बगीचे का भलीभांति निरीक्षण कर ले (मंगलवार को छोड़कर) जिसके लिये वह ई–निविदा प्रस्तुत कर रहा है।

3. ई–निविदा में उल्लेखित बगीचे (पृष्ठ क.12) के सम्पूर्ण क्षेत्रफल (इकाई) के लिये दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य ह ।

4. संकल्प धनराशि :–

   4.1 संकल्प धनराशि बगीचेवार (एकड़ में) पृथक–पृथक जमा करनी होगी।
   4.2 संकल्प धनराशि ऑनलाईन जमा की जानी होगी।
   4.3 बिना संकल्प धनराशि के कोई भी ई–निविदा ऑनलाईन जमा नहीं हो सकेगी।

5. ई–निविदा को प्रस्तुत किया जाना :–

   5.1 पृष्ठ कमांक 4 पर उल्लेखित समय सीमा में ई–निविदा प्रपत्र का कय करना, उसे जमा करना एवं खोलने का रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि निर्धारित दिनांक को शासकीय अवकाश घोषित होता है तो उसे आगामी कार्य दिवस में समान समय पर कार्यवाही की जावेंगी।
   5.2 निविदाकर्ता द्वारा ई–निविदा में भाग लेने हेतु ई–निविदा प्रपत्र हेतु राशि रू. 2500/– (जी.एस.टी. सहित) ऑनलाईन जमा करेंगें।
   5.3 निविदाकर्ता द्वारा ई–निविदा में क्षेत्रफलवार प्रस्तुत दर हेतु संकल्प धनराशि ऑनलाईन जमा की जाना होगी। .
   5.4 निविदाकर्ता ई–निविदा के सभी पृष्ठ एवं न्यूनतम आर्हता के समस्त दस्तावेज पर स्वयं के हस्ताक्षर, नाम एवं सील अंकित करेंगे एवं स्पष्ट स्केन्ड कापी को ई–निविदा में अपलोड करेंगे।
   5.5 निजी व्यक्ति द्वारा ई–निविदा में भाग लेने हेतु आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति व फर्म/कम्पनी की ओर से ई–निविदा में भाग लेने हेतु फर्म/कम्पनी का वैद्य गुमाश्ता प्रमाण–पत्र कम्पनी निर्गमन की स्व–प्रमाणित प्रति ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक होगा जिसके अभाव में ई–निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी । कम्पनी के प्रकरण में ई–निविदा प्रस्तुत करने के अधिकार संबंधी संचालक मंडल के निर्णय की प्रति के साथ प्रस्तुत करना है।

5.6 ई–निविदा में स्वयं के हस्ताक्षर, फर्म/कंपनी का नाम इत्यादि अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज की हार्डकापी (6.5 अनुसार) लिफाफा में रखकर सील्ड कर दि एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिटेड, पंचानन भवन, तृतीय तल,मालवीय नगर, भोपाल में जमा करने की निर्धारित अंतिम दिनांक 20.05.2024 समय 3.30 बजे तक जमा किया जाना होगा। वित्तीय बिड को मात्र ऑनलाईन भरा जाना होग, वित्तीय बिड की हार्डकापी लिफाफे में प्रस्तुत नहीं की जावेगी ।

5.7 निविदाकर्ता ई–निविदा दरें **(प्रपत्र क.–4,** पृष्ठ कमांक 12 अनुसार**)** मात्र ऑनलाईन भरी जायेगी।

6. **ई–निविदा को खोला जाना एवं स्वीकार करना :–**

6.1 ई–निविदा को दिनांक 20.05.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे तक ऑनलाईन जमा की जायेगी एवं दिनांक 20.05.2024 को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि (केवल एक) के समक्ष कम्प्यूटर कक्ष द्वारा खोली जायेगी।

6.2 ई–निविदा के तकनीकी बिड में प्राप्त समस्त तकनीकी आर्हताओं की पूर्ति करने वाले निविदाकार की ऑनलाईन वित्तीय बिड निगम द्वारा तकनीकी बिड पर अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात खोली जायेगी। वित्तीय बिड खोले जाने के दिनांक एवं समय की सूचना वेबसाईट www.mptenders.gov.in एवं www.mpagro.0rg पर प्रदर्शित की जायेगी।

6.3 यदि निगम आवश्यक समझेगा, तो निविदाकारों से दरों पर चर्चा **(Negotiation)** कर सकेगा। दर चर्चा सर्वप्रथम **अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले** निविदाकार से की जाएगी असहमति होने की दशा में यह दर चर्चा द्वितीय, तृतीय एवं आगे के अधिकतम दर देने वाले निविदाकर्ताओं से की जायेगी। निगम के प्रबंध संचालक को निगम के पक्ष में अधिकतम राशि प्राप्त करने हेतु कोई भी प्रकिया के निर्धारण का अधिकार होगा। कम राशि देने वाले निविदाकार को इस संबंध में आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा। जिस अधिकतम दर पर निगम एवं निविदाकार की सहमति हो जाती है, उस निविदाकार को निगम द्वारा लिखित में निर्धारित प्रपत्र क. –2, पृष्ठ क.–10 अनुसार अनुबंध रू. 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराईज्ड कराकर इस कार्यालय में. प्रस्तुत करना होगा।

7 **.अन्य विवरणः–**

7.1 जिस निविदाकर्ता की ई–निविदा स्वीकार की जायेगी उसे निगम द्वारा पत्र से एवं उपलब्ध कराये गये मोबाईल पर सूचित किया जायेगा तथा निगम मुख्यालय एवं बाबई प्रक्षेत्र के नोटिस बोर्ड पर भी ऐसी सूचना लगायी जायेगी ।

7.2 ई–निविदा मान्य करने की सूचना–पत्र के दिन से 7 दिवस के अंदर संबंधित निविदाकर्ता को **प्रपत्र क.–2 में अनुबंध रू. 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित** एवं नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत करना होगा (समस्त व्यय निविदाकार द्वारा किया जायेगा)। अनुबंध प्रस्तुत करने के पश्चात ही निगम के निर्देशानुसार निविदाकर्ता को बगीचेवार जिसके लिये ई–निविदा मान्य की गयी है आधिपत्य दिया जायेगा। अनुबंध के पश्चात निविदाकार को अनुबंधकर्ता कहा जायेगा।

7.3 अनुबंध निष्पादित करने के साथ–साथ स्वीकृत राशि की 30 प्रतिशत राशि अनुबंधकर्ता द्वारा जमा करनी होगी। यह राशि संकल्प धनराशि के अतिरिक्त होगी। शेष 70 प्रतिशत राशि आगामी 7 दिवस (अर्थात ई–निविदा मान्य करने की सूचना पत्र के दिनांक से 10 दिवस के अन्दर) जमा करानी होगी। देय 70 प्रतिशत राशि हेतु– संकल्प धनराशि के रूप में जमा राशि का 85 प्रतिशत अथवा न्यूनतम राशि रू. 5,000/–, जो अधिकतम हो, की राशि (समायोजित की जावेगी) को छोड़कर एवं शेष राशि अनुबंधकर्ता द्वारा जमा करनी होगी। संकल्प धनराशि का 15 प्रतिशत शेष राशि बगीचे से संबंधित कार्य पूर्ण होने के बाद सही में हालत में बगीचे को प्रक्षेत्र प्रभारी को सौंपने के पश्चात वापस की जायेगी। यदि निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार समय–सीमा में राशि जमा नहीं करायी जाती है, तो **प्रत्येक दिवस एक प्रतिशत राशि पेनाल्टी के रूप में (ई–निविदा की स्वीकृत राशि का) अतिरिक्त देना होगी।** यह अवधि अधिकतम एक सप्ताह की होगी अन्यथा निगम निविदा के साथ जमा संकल्प धनराशि एवं 30 प्रतिशत राशि को जप्त कर लेगा तथा कटहल बगीचे के विकय के संबंध में अन्य कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

7.4 अनुबंध निष्पादित होने एवं समस्त राशि जमा करने के पश्चात ही अनुबंधकर्ता को संबंधित फलवृक्षों से फल उतारने का अधिकार प्राप्त होगा।

7.5 अनुबंधकर्ता की ई–निविदा स्वीकृत होने के उपरांत जब तक अनुबंधकर्ता सम्पूर्ण राशि कार्यालय में जमा नहीं कर देता इसके पूर्व तक यदि हवा, आंधी तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण फल वृक्ष से गिरते है, तो उन फलों पर प्रक्षेत्र का अधिकार होगा एवं प्राकृतिक आपदा का कोई भी भरपाई **(Compansation)** निगम द्वारा नहीं की जायेगी।

7.6 फलों को उतारना, चुनना, इकठ्ठा करना, उनका परिवहन एवं चौकीदारी इत्यादि के समस्त व्यय अनुबंधकर्ता वहन करेंगे। फलों की चोरी व अन्य किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी ,तूफान ,ओले आदि से हुए नुकसान के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा।

7.7 अनुबंधकर्ता द्वारा जिन व्यक्तियों को क्रमांक 7.6 के अनुसार कार्य पर लगाया जाता हैं, तो इन सभी की जानकारी (आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति के साथ) प्रक्षेत्र प्रभारी, बाबई को दी जायेगी एवं उनकी स्वीकृति के उपरांत ही उसे कार्य करने की स्वीकृति दी जायेगी।

7.8 यदि अनुबंधकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति फल उतारता है तो उसके विरूद्ध योग्य कानूनी कार्यवाही का अधिकार अनुबंधकर्ता को होगा। यदि प्रक्षेत्र का कोई कर्मचारी अनाधिकृत रूप से फल उतारता है तो उसकी लिखित सूचना प्रक्षेत्र प्रभारी को देना होगी तथा प्रक्षेत्र प्रभारी इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे । .

7.9 प्रत्येक बगीचे के 1 वृक्ष को प्रक्षेत्र प्रभारी चयनित कर प्रायौगिक कार्य हेतु सुरक्षित रखेगें जिसके फल उतारने का अधिकार केवल प्रक्षेत्र प्रभारी को होगा।

7.10 यदि अनुबंधकर्ता या उसके प्रतिनिधि या कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों द्वारा प्रक्षेत्र सम्पत्ति या वृक्षों को हानि पहुँचाई जाती है तो ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति का आंकलन प्रक्षेत्र प्रभारी करके हानि की राशि जमा करने की लिखित सूचना देगें तथा अनुबंधकर्ता को ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि तत्काल जमा करना होगी। क्षतिपूर्ति की राशि न देने पर प्रक्षेत्र के बाहर फलों का परिवहन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जायेगा।

7.11 किसी प्रकार के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर जैसे मण्डी टैक्स/जी.एस.टी. टैक्स इत्यादि स्वीकृत राशि के अतिरिक्त होगें जिसे अनुबंधकर्ता द्वारा प्रक्षेत्र प्रभारी के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

7.12 अनुबंधकर्ता अपने साथ प्रक्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में कोई पशु/जानवर नहीं लायेगा और न ही किसी अनाधिकृत व्यक्ति को अपने साथ लायेगा और न ही कोई ऐसी कार्यवाही करेगा जो नियमों के विरूद्ध हो। प्रक्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से घास काटने का अधिकार भी अनुबंधकर्ता को नही होगा।

7.13 अनुबंधकर्ता को प्रत्येक वृक्ष से प्रतिदिन उतारे गये फलों के वजन की वास्तविक जानकारी प्रक्षेत्र प्रभारी को देना होगी जिससे वे फलों का वर्षवार रिकार्ड तैयार कर सकें। इसके लिये जिस वाहन से फलों को ले जाना है उसका खाली व भरे हुए का वजन तौलकांटे से कराकर रसीदें प्रस्तुत करना होगी।

8. अनुबंधकर्ता को दिनांक 15.07.2024 तक वृक्षों से फल उतारना आवश्यक होगा। यदि अनुबंधकर्ता दि. 15.07.2024 के पूर्व ही फल उतार लेता है तो उसके पश्चात संबंधित बगीचे में रूकने का अधिकार नहीं होगा।

9. फल उतारने की तिथि में सामान्य रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से यदि दिनांक 15.07.2024 तक फल नहीं उतारने पर अनुबंधकर्ता को लिखित में फल उतारने के कारणों में वृद्धि के लिये आवेदन प्रक्षेत्र बाबई के माध्यम से देना होगा तथा निगम के प्रबंध संचालक समय सीमा में वृद्धि करने अथवा न करने के संबंध में अधिकार सुरक्षित रखेगें। प्रबंध संचालक द्वारा लिये गये निर्णय पर किसी प्रकार की आपत्ति लेने का कोई अधिकार अनुबंधकर्ता को नहीं होगा।

10. बगीचों में वृक्षों को पानी देने की जवाबदारी प्रक्षेत्र प्रभारी की नहीं होगी। प्रक्षेत्र पर बगीचों की सिंचाई हेतु बोर एवं चालू हालत में सबमर्सिवल पंप उपलब्ध कराये जायेगें जिससे सिंचाई किये जाने की जवाबदारी अनुबंधकर्ता की रहेगी। निगम द्वारा उपलबध कराये गये सबमर्सिवल पंप कार्य पूर्ण होने के उपरांत चालू हालत में वापस किये जाना अनिवार्य है। यदि पंप में कोई खराबी उत्पन्न होती है ,तो ऐसी हानि की भरपाई अनुबंधकर्ता से की जायेगी।

11. सबमर्सिवल पंप के खराब होने पर उसे प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा सुधरवाया जाएगा जिसकी वास्तविक व्यय की पूर्ति अनुबंधकर्ता को करना होगी।

12. बिजली चोरी करते पाये जाने पर संबंधित एजेन्सी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा।

13. बगीचों के अलावा जिन नलकूपों पर प्रक्षेत्र का स्थायी विद्युत कनेक्शन है एवं प्रक्षेत्र प्रभारी पानी देने हेतु सहमत हैं, ऐसे नलकूपों को यदि बगीचों के लिये उपलब्ध कराया जाता है तो विद्युत व्यय एवं **कंडिका क. 14** अनुसार पाईप का किराया का भुगतान अनुबंधकर्ता को किया जाना होगा। इस हेतु अग्रिम में तीन माह की राशि प्रक्षेत्र कार्यालय में जमा कराना होगी। अनुबंधकर्ता यदि चाहे तो अन्य नलकूपों हेतु अस्थायी विद्युत कनेक्शन भी ले सकता है।.

14. बगीचों की सिंचाई के लिये प्रक्षेत्र पर एच.डी.पी.ई पाईप उपलब्ध है। यदि अनुबंधकर्ता चाहे तो एच.डी.पी.ई पाईप 20/– प्रति पाईप प्रतिमाह की दर से राशि प्रक्षेत्र कार्यालय में जमा कर प्राप्त कर सकता है। प्रक्षेत्र से किराये पर लिये गये पाईप अच्छी हालत में निगम को वापस किये जाने होंगें। यदि अनुबंधकर्ता द्वारा खराब/क्षतिग्रस्त पाईप वापस किये जाते हैं तो पाईप की राशि की भरपाई अनुबंधकर्ता से होगी।

15. ईकाई क. 02 में स्थित आम बगीचे 80 एकड एवं 47 एकड तथा ईकाई क. 03 में स्थित 50 एकड में सिंचाई की व्यवस्था नही की जावेगी। इसी प्रकार नीबू ईकाई क. 03 में भी सिंचाई की व्यवस्था नही होगी।

16. निगम के प्रबंध संचालक किसी भी ई–निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगें।

17. अनुबंधकर्ता एवं प्रक्षेत्र प्रभारी में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा होता है तो ऐसा प्रकरण निगम मुख्यालय के प्रबंधक (बाबई) को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंधक (बाबई) इस संबंध में आवश्यक निर्णय ले सकेंगे। प्रबंधक द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जायेगा जो "आब्रिट्रेटर" के रूप में अपना निर्णय देगें। आब्रिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण केवल भोपाल जिले के लिये अधिकृत न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा सकेगा।

18. ई–निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि निविदाकर्ता द्वारा ई–निविदा की समस्त शर्तो को भलीभांति पढ़ कर समझ लिया है और उसे स्वीकार करने के उपरांत ही उसके द्वारा ई–निविदा प्रस्तुत की गई है।

प्रबंधक (बाबई)

प्रपत्र क.–2

:: अनुबंध–पत्र ::

(राशि रू. 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपकम है तथा जिसे आगे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... की ओर से श्री....... .... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे अनुबंधकर्ता कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर कटहल के बगीचे के विकय हेतु ई–निविदा दिनांक------को ई–निविदा आमंत्रित की गई एवं निविदाकर्ता द्वारा ई–निविदा प्रपत्र निगम की ओर से कय करते हुए एवं शर्तो को मान्य करते हुए ई–निविदा में भाग लिया गया है । ई–निविदा प्रपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा है।

निगम द्वारा पत्र कमांक .... दिनांक .... से निविदाकर्ता की ई–निविदा में उल्लखित दरों को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।
निगम द्वारा अनुबंधकर्ता की कटहल बगीचे के विकय हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है एवं अनुबंधकर्ता ई–निविदा की निर्धारित शर्तो अनुसार निगम में कार्य करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होगें । शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लघंन करता है तो निगम पूर्ण रूप से निगम की शर्तो के अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. ई–निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र ।
3. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

अनुबंधकर्ता

नाम :

पता :

प्रभारी ,
यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र,बाबई

1. गवाह का नाम :
एवं पता

हस्ताक्षर

2. गवाह का नाम :

एवं पता

हस्ताक्षर

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

प्रपत्र क.–3

कटहल के बगीचों में लगे फल के विक्रय एवं उक्तावधि में वृक्ष संवर्धन हेतु बगीचों की संकल्प धनराशि के सम्पूर्ण जानकारी का विवरण

क.	बगीचे का नाम	इकाई क.	रकबा एकड़ में	प्लाट क.	वृक्षों की संख्या	निर्धारित संकल्प धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
01	कटहल (Kathal)	एक	18	अ/10	404	2,00,000/–
02	कटहल (Kathal)	एक	26	ब/11	669	3,00,000/–

प्रबंधक (बाबई)

1 ई–निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर ऑनलाईन अपलोड एवं संकल्प धन राशि ऑनलाईन जमा किया जाना होगा

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. नाम...

2. पता...

3. पेन नं..

4.दूरभाष/मोबाईल क..

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

प्रपत्र क.–4

वित्तीय प्रस्ताव जिसे मात्र ऑनलाईन भरा जावे

क.	बगीचे का नाम	इकाई क.	रकबा एकड़ में	प्लाट क.	वृक्षों की संख्या	पूर्ण क्षेत्रफल एवं वृक्षों के लिये प्रस्तुत दर	
						अंको में	शब्दों में
01	Kathal	एक	18	अ / 10	406		
02	Kathal	एक	26	ब / 11	667		

निविदाकार के हस्ताक्षर

1.नाम..
2. पता..
3. दूरभाष कमांक..
4. पेन नं...
5. बैंक खाता कं...
6. आधार कार्ड नं...
7. बैंक का नाम एवं शाखा..
8.जी.एस.टी. नं..